बिहार सरकार
गृह विभाग

अधिसूचना

संoसंo अoनिo (16) 06/2026/विविध/खण्ड–II. 2856 पटना, दिनांक 16/10/26

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम, 46, 2023) की धारा 356 की उपधारा–8 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार 10 वर्ष से कम की सजा वाले अपराध के प्रत्येक मामले में अभियुक्त की अनुपस्थिति में जांच, विचारण या निर्णय करने के लिए निम्नलिखित अधिसूचित करती हैः–

1. अभियुक्त की अनुपस्थिति में जांच, विचारण या निर्णय करने से संबंधित अधिसूचना निम्नवत् हैः–

(i) इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जब किसी व्यक्ति के विरूद्ध संहिता की धारा 84 (1) के अधीन उद्घोषणा जारी कर दिया गया है, चाहे उस पर संयुक्त रूप से आरोप लगाया गया हो या नहीं, विचारण की वंचना करने के लिए फरार है और उसे गिरफ्तार करने का कोई तात्कालिक पूर्वेक्षण नहीं है, इसे ऐसे व्यक्ति के उपस्थित होने और वैयक्तिक विचारण के अधिकार के अभित्याग के रूप में प्रवर्तित होना समझा जाएगा और न्यायालय ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएं, न्यायहित में ऐसी रीति में और ऐसे प्रभाव के साथ, मानो वह उपस्थित था, इस संहिता के अधीन विचारण के लिए अग्रसर होगा और निर्णय सुनाएगाः

परंतु न्यायालय तब तक विचारण प्रारंभ नहीं करेगा, जब तक कि आरोप की विरचना की तारीख से नब्बे दिन की अवधि की समाप्ति नहीं हो जाती है।

(ii) न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि आगामी प्रक्रिया का भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा–356 की उपधारा (1) के अधीन कार्यवाही से पहले अनुपालन किया गया है, अर्थात् :–

(a) कम से कम तीस दिन के अंतराल पर लगातार दो गिरफ्तारी वारंटों को जारी करना

(b) संहिता की धारा–84 (1) के अधीन उद्घोषणा जारी किये गये अपराधी से विचारण के लिए न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने की अपेक्षा करते हुए और उसे सूचना देते हुए कि यदि वह ऐसे प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर प्रस्तुत होने में असफल रहता है, तो उसकी अनुपस्थिति में विचारण किया जाएगा, उसके अंतिम ज्ञात निवास स्थान पर परिचालित राष्ट्रीय या स्थानीय दैनिक समाचार में प्रकाशन

(c) उसके नातेदार या मित्र, यदि कोई हो, को विचारण के प्रारंभ होने के बारे में सूचना, यदि कोई हो; और

(d) उस गृह या वास स्थान, जिसमें ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है, के किसी सहजदृश्य स्थान पर विचारण के प्रारंभ होने के बारे में सूचना चिपकाना और उसके अंतिम ज्ञात निवास के जिले के पुलिस स्टेशन में प्रदर्शन ।

(iii) जहां संहिता की धारा–84 (1) के अधीन उद्घोषणा जारी किये गये अपराधी का किसी अधिवक्ता द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं किया जाता है, तो उसके लिए राज्य के व्यय पर अपनी प्रतिरक्षा के लिए एक अधिवक्ता का प्रबंध किया जाएगा ।

(iv) जहां मामले का विचारण करने या विचारण के लिए सुपुर्दगी के लिए सक्षम न्यायालय ने अभियोजन के लिए किन्हीं साक्षियों की परीक्षा की है और उनके अभिसाक्ष्यों को अभिलिखित किया है, ऐसे अभिसाक्ष्य, ऐसे अपराध जिसके लिए संहिता की धारा–84 (1) के अधीन उद्घोषणा जारी किये गये अपराधी को आरोपित किया गया है, की जांच या विचारण में उसके विरुद्ध साक्ष्य में दिए जाएंगे :

परंतु यदि संहिता की धारा–84 (1) के अधीन उद्घोषणा जारी किये गये अपराधी ऐसे विचारण के दौरान गिरफ्तार किया जाता है और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है या उपस्थित होता है, तो न्यायालय न्याय हित में उसे किसी ऐसे साक्ष्य, जो उसकी अनुपस्थिति में लिया गया है, की परीक्षा करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा ।

(v) जहां विचारण इस धारा के अधीन व्यक्ति से संबंधित है, तो साक्षियों का अभिसाक्ष्य और परीक्षा, जहां तक व्यवहार्य हो, श्रव्य दृश्य इलैक्ट्रानिक साधनों, अधिमानतः मोबाइल द्वारा अभिलिखित की जा सकेगी और ऐसी रिकार्डिंग ऐसी रीति में रखी जाएगी, जो न्यायालय निदेश दे ।

(vi) इस संहिता के अधीन अपराधों के अभियोजन में, उपधारा (1) के अधीन विचारण प्रारंभ होने के पश्चात् अभियुक्त की स्वेच्छा अनुपस्थिति, विचारण, जिसके अंतर्गत निर्णय सुनाया जाना भी है, जारी रहने को नहीं रोकेगी, यद्यपि वह ऐसे विचारण की समाप्ति पर गिरफ्तार और प्रस्तुत किया जाता है या उपस्थित होता है।

(vii) इस धारा के अधीन किए गए निर्णय के विरुद्ध तब तक अपील नहीं होगी जब तक उद्घोषित अपराधी स्वयं को अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं कर देता:

परंतु दोषसिद्धि के विरुद्ध कोई अपील निर्णय की तारीख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् नहीं होगी ।

यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन के तिथि से प्रभावी होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

16/10/26

(सुधांशु कुमार चौबे)
विशेष सचिव–सह–प्रभारी निदेशक।

(24)

ज्ञापांक अ0नि0 (16) 06/2026/विविध (खण्ड–II) 2856 दिनांक 16/10/26 /

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सी0डी0 राईट कॉपी के साथ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसे बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा प्रकाशित गजट की 500 प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

16/10/26

विशेष सचिव–सह–प्रभारी निदेशक।

ज्ञापांक अ0नि0 (16) 06/2026/विविध (खण्ड–II) 2856 दिनांक 16/10/26 /

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग को सी0डी0 राईट कॉपी के साथ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि उक्त अधिसूचना को ई–गजट में प्रकाशित किया जाय।

16/10/26

विशेष सचिव–सह–प्रभारी निदेशक।

ज्ञापांक अ0नि0 (16) 06/2026/विविध (खण्ड–II) 2856 दिनांक 16/10/26 /

प्रतिलिपिः– राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/पुलिस महानिदेशक/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/सभी पुलिस अधीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

16/10/26

विशेष सचिव–सह–प्रभारी निदेशक।

ज्ञापांक अ0नि0 (16) 06/2026/विविध (खण्ड–II) 2856 दिनांक 16/10/26 /

प्रतिलिपिः– विद्वान महाधिवक्ता, बिहार एवं महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

16/10/26

विशेष सचिव–सह–प्रभारी निदेशक।

ज्ञापांक अ0नि0 (16) 06/2026/विविध (खण्ड–II) 2856 दिनांक 16/10/26/

प्रतिलिपिः– भारत सरकार, कानून एवं न्याय मंत्रालय को सूचनार्थ प्रेषित।

16/10/26

विशेष सचिव–सह–प्रभारी निदेशक।

ज्ञापांक अ0नि0 (16) 06/2026/विविध (खण्ड–II) 2856 दिनांक 16/10/26/

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग, बिहार, पटना X प्रोग्रामर, अभियोजन निदेशालय, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

16/10/26

विशेष सचिव–सह–प्रभारी निदेशक।